



निर्माण IAS

HEAD OFFICE: 12, Mall Road, Hudson Lane, Kingsway Camp, Delhi-9

CLASS ROOM: 624, 2nd Floor, Main Road Mukherjee Nagar, Near Agarwal Sweet, Delhi-9

Ph.: 011-47058219, 9990765484, 9871968820

परीक्षार्थी का नाम/ Name of the Candidate: Sakshi Ganguly

रोल नं./ Roll No: 150 फोन नं./ Phone No: 9871968820

दिनांक/ Date of Examination: 15/11/2014

विषय/ Subject: Polity

दिनांक:- 15/11/2014

(राजव्यवस्था)

प्रश्न संख्या Question No.	पूर्णांक:- 150 सभी प्रश्न अनिवार्य है।	Rank 350 Background Governance, Ethics, Polity class paper	याः 2 घण्टा इस भाग में कुछ न लिखें (Don't write anything in this part)
प्रश्न 1.	<p>भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद् का मित्र, दार्शनिक एवं प्रदर्शक है। उक्त कथन के आलोक में भारतीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति की भूमिका पर प्रकाश डालें।</p> <p><u>राष्ट्रपति को अनु० ४५ व अनु० ५५ तथा अनुच्छेद ५१ के तहत कई रैसी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसके कारण राष्ट्रपति व संतिपरिषद् आपस में अन्तर्सम्बन्धित हो जाते हैं।</u></p> <p><u>अनु० ५५(१) के अनुसार → राष्ट्रपति धृधानमंत्री की सलाह पर सभी संघियों की नियुक्ति करता है, जब राष्ट्रपति के प्रसारणित लौटी संघियण अपना पद प्राप्त करते हैं।</u></p> <p><u>अनुच्छेद ५५(१) के अनुसार → राष्ट्रपति किसी भी विद्येपुक को मंत्रीपरिषद् को चुनविचार द्वारा लौटा सकता है।</u></p> <p><u>अनुच्छेद ५५ के अनुसार → राष्ट्रपति को सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद्</u></p>	(200 शब्द) (अंक 20)	



निर्माण IAS

Ph.: 011-47058219, 9990765484, 9871968820

प्रश्न संख्या
Question No. Name.....

Roll No.....

U.P.S.C.

पृष्ठानमंत्री के वृत्ति उल्लंघनी होती है वा अविश्वास प्रक्षाप
पारित होने पर श्री अगर मंत्रीपरिषद् व्यापक न हो
तो राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, जिसे व्यक्तिगत उल्लं
गणित कहते हैं।

अनुच्छेद 75(3) → के अनुसार समूर्ण मंत्रीपरिषद् सामूहिक
रूप से लोकसभा के वृत्ति उल्लंघनी

होती है। जिसे सामूहिक उल्लंघनीयता का सिहोत कहते हैं।

⇒ बहुमत की स्थिति हास्त न होने पर राष्ट्रपति
स्वविवेक से पृष्ठानमंत्री की निपुणता करता है।

⇒ अनु०-७० → के अनुसार पृष्ठानमंत्री का पद विधिवत है
कि वह मंत्रीपरिषद् से सम्बद्धित किए
श्री कार्य से राष्ट्रपति को अवगत कराएँ, अगर वह
ऐसा नहीं करता है तो पृष्ठानमंत्री को राष्ट्रपति पृष्ठानमंत्री
की कर्त्ता की कह सकता है।

⇒ अगर राष्ट्रपति को पद समाधान हो जाए कि आपा
हुए विद्योग्य पर किसी मंत्री की सहमति नहीं
ली गयी है तो वह उसे वापस कर सकता है सर्वे
सम्मति ठेक।

उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति
की भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी
संविधान द्वारा मंत्री क्रीड़ा के जिर्माण, कार्य, मरण सम्बद्धित
विशेषाधिकार संपूर्ण गश हैं जिसके कारण वह मंत्रीपरिषद्




निर्माण IAS

Ph.: 011-47058219, 9990765484, 9871968820

U.P.S.C.

इस भाग में
कुछ न लिखें
(Don't write
anything in
this part)

~~का-मिति, लर्णनिक विषय-प्रदर्शन के दृष्टवाता है।~~



① add- 42 वां संशोधन

45 वां संशोधन

② भारतीय जैतिनीति, जलाह

सविक्री

प्रश्न 2. पिछले कुछ वर्षों में भारतीय संसद 'विषय गमन' के आरोपों से चर्चा का विषय बनी हुई थी किन्तु हाल ही में नवे प्रधानमंत्री ने संसदीय नैतिकता को बहाल करने की पुरजोर वकालत की क्या यह स्वतं स्थापित किया जा सकेगा अथवा कोई बाध्यता या नियम ही इसे स्थापित करा सकेंगे?

(200 शब्द) (20 अंक)

पिछले कुछ वर्षों में सांसदों के गिरते नैतिक स्तर, शासनीति के अपशब्दीकरण, बाधुबली की बढ़ती भूमिका, व्यापारिक लाभ की दौष्टा, भूम्भाचार व वीट बैंक की शासनीति जैसे काशों से संसद अपनी निष्ठाशित कार्यों से 'पदभूष्ट' होती जाए रही है।

टाल में बहुमत से आपी सरकार ने संसदीय नैतिकता से अमर्जना न करने के चेतावनी दिए हैं परन्तु उमाई संसद में जनता आश पृथक् भूम्भाचार से दूने गए महान् लुट्रिजीवी बैठते हैं, जो स्वयं ही संसद 'विषय गमन' के लिमेन्ट हैं, अतः उन्हें किसी नियम की जटी अपेक्षा स्वयं-परिष्करण की आवश्यकता



U.P.S.C.

इस भाग के
कुछ न लिखें
(Don't write
anything in
this part)

हैं, जब धृतिमिहिलों की स्वर्य ही अपनी देश की गरिमा की सम्मान करते हुए ज़रूरिय, आघरण करना होगा, किसी कानून के तहत नीतिकृता का संचार नहीं किया जा सकता।

साप ही संसद में अव्यावस्था उत्पन्न करने वाले व भ्रमानवीय व्यवहार करने वाले सोसदों के प्रति निपम बना उन्हें कठोरता से जागू करना चाहिए, इल भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय- २ वर्ष-या इससे उपर सभा प्राप्त अपराह्निल, सा व्यक्तियोंप की सुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, सराईजीप व महत्वपूर्ण जदृम हैं;

अतः

नीतिकृता के सुनावधार हेतु सर्वपूर्यम सोसदों को स्वयं की आघरण की सुधारने की आवश्यकता है उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि क्ये उन्हें देश का धृतिमिहिल कर रहे हैं, परन्तु किस भी वे संसद जो ऐसा नहीं करते उचित दण्डनक कार्रवाई करनी चाहिए।

11



निर्माण IAS

Ph.: 011-47058219, 9990765484, 9871968820

U.P.S.C.

इस भाग में
कुछ न लिखें
(Don't write
anything in
this part)

- प्रश्न 3. विपक्ष का नेता मात्र सदन में संख्या के आधार पर तो उपयोगी नहीं है, किंतु अपने कर्तव्य व दायित्वों को देखते हुए लोकतात्रिक प्रणाली की मजबूती हेतु इसकी उपस्थिति अवश्यक प्रतीत होती है, चर्चा करें? (200 शब्द) (20 अंक)

भारत पैसे जीकल्टेन्टिक देश में भृष्ट दैश की घमता का प्रतिनिधित्व हमारी संसद करती है, जितनी धरा की भूमिका है उतनी ही विपक्ष की। विपक्ष के निम्न गार्फ़ के कारण इसे अधीक्षी भाना भाता है:-

- तानाशाही पर शीक - सलापप्र द्वारा विरोध गार्फ़ निर्वयों में अगर किसी शीक पर का विरोध हो तो विपक्ष उपर पर दबाव बनाता है।
- शक्तीय हित के निर्णय में सद्योगात्मक → सलापप्र शक्तीय हित के निर्णय में कोई समर्ज्ञाता करती है तो विपक्ष सकाशलजुक्षता भूमिका निभाता है, साथ के
- बौद्ध बैंक राजनीति पर अंतर्क्षरा → सलापप्र द्वारा अगर बौद्ध बैंक हेतु लोहा



U.P.S.C.

इस भाग में
कुछ न लिखें
(Don't write
anything in
this part)

एम्स मुद्रित
उत्तर प्राप्ति
लेटर नं
एव सूचना
में सार्वजनिक
लाइब्रेरी
यात्रा
का (AI) द

ऐसा निर्णय लिया जाता है तो लोट बैंक द्वेष्ट होता है किसी विशेष धार्मिक, सामाजिक सुदृढ़ि का होता है तो विषय उसे पारित होते हैं में व्यवहार उत्पन्न करता है।

हाल के पश्चिमी में यहाँ बहुमत की सरकार है इसकी सम्मानना और भी बढ़ जाती है अतः विषय का होना अति आवश्यक होता है, भीड़िया, न्यूज़ पेपर, इंडरेन्स आदि के माध्यम से विषय, सलाह पर पर एक अंकुश लगाता है।

दृष्टिकोण

बार महत्वपूर्ण सुदृष्टियों पर विषय का विशेष होने पर विद्युत पक्ष पास नहीं हो पाते हैं, जिसमें भारतीयों के अन्हित में समझौता होता है जैसे → अनु०-३७० की समाप्ति, समान आधार संहिता।

फ्रॉन्ट राजतंत्र

देश में सत्त्वप्रभु घर पब्लिक न होने पर निरक्षुद्वाता की सम्भावना है, अतः विषय का होना शान्ति में संख्या के आधार पर तो नहीं परन्तु लोकतंत्रिय प्रणाली की मिथ्यता होता है अति आवश्यक है।



Add → ① संख्या के आधार पर 1/10 प्राप्ति ⇒ उपरोक्त + १

② कल्पित लोक आधार पर → मनन द्वावात - सुनपतीप



निर्माण IAS

Ph.: 011-47058219, 9990765484, 9871968820

ना. नो. आम
वर्ग विशेष गो

काम्पस पर्सनल

प्रश्न संख्या
Question No. Name.....

Roll No.....

U.P.S.C.

इस भाग में
कुछ न लिखें
(Don't write
anything in
this part)

मंत्रीमण्डल

प्रश्न 4. 'मंत्रीमण्डल' चक्र के भीतर चक्र है। इस कथन के आलोक में मंत्रीपरिषद् और मंत्रीमण्डल में अंतर बतावें? (200 शब्द) (20 अंक)

प्रधानमंत्री द्वारा शदन से विभिन्न मंत्रियों का समूह ही मंत्रीपरिषद् है, जबकि मंत्रीमण्डल का ही रूप भाग है। प्रधानमंत्री

द्वारा विभिन्न भागों का वापिल सम्मालन होता है ताकि प्रकार के मंत्रियों की घुनाब किया जाता है:-

- कैबिनेट मंत्री

- राज्य मंत्री

- राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभाव)

- उष मंत्री

यहां कैबिनेट मंत्रियों का पहल सर्वाधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि देश के विभिन्न सेवाकारी संसद की प्रत्येक लोटक में भाग लेने का शाहिनाथ होता है, जबकि राज्य मंत्रियों को उपरोक्त विभागों के निधि उपभाग का कार्य सौंपा जाता है, तथा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभाव)



निर्माण IAS

Ph.: 011-47058219, 9990765484, 9871968820

U.P.S.C.

Roll No.


को भी मंत्रालय से पैरें जाते हैं, परंतु इन्हें केविनेट मंत्रियों की तरह संभव में बैठक का अधिकार नहीं होता। प्रधानमंत्री द्वारा संभव उन्हें मंत्रालय के सम्बन्ध में आमंत्रित किया जाता है। और उपमंत्री की निपुक्ति केविनेट, शज्यमंत्री व शज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रमाण) के सहायता के लिए की जाती है।

→ भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों (4,78 ...) में मंत्रिपरिषद् का ही उल्लेख है, इन्हें प्राप्त जाकित कागजों पर है, व्यवहार में सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् (सामृद्धि बैठक के रूप में) कोई निर्णय नहीं लेती।

अब कि मंत्रीमंडल केविनेट

मंत्रियों का एक समूह है, जिसकी व्याप्ति मत्र अनु० ३५९ में की गयी है, संष्टानिक रूप से सभी निर्णय मंत्रीपरिषद् के होते हैं, परंतु व्यवधारिक रूप से निर्णय मंत्रीमंडल ही करती है विसे सम्पूर्ण मंत्रीपरिषद् का निर्णय जान लिया जाता है।

उपरोक्त व्याख्या से यह स्पष्ट है कहा जाता है कि मंत्रीमंडल, मंत्रीपरिषद् का ही एक ग्राम है अर्थात् 'एक के भीतर चक्र' है।



ad nat
and 57
11



निर्माण IAS

Ph.: 011-47058219, 9990765484, 9871968820

U.P.S.C.

अ०१५२५८०८०८०

नीतिमोड़ल का उल्लेख नियमितीय में ४५वें संशोधा कारा अनु० ३५२ में
८५। ११। ४६ ले दृष्टि पा।

- प्रश्न 5. राज्य सभा न केवल दूसरा सदन है बल्कि दूसरे दर्जे का सदन है इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रस्तुत करें। (200 शब्द) (20 अंक)

राज्यसभा को धौगपता का नियमित होने के कारण उच्चसदन व अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होने के कारण दूसरा सदन कहा जाता है। परन्तु आलोचकों द्वारा राज्यसभा को द्विसे दर्जे नामक कक्ष औकातमा के अपेक्षाकृत कम व गाँठ शक्तियां होने के कारण द्विसे दर्जे का सदन कहा जाता है, इन विद्युयक, कर्ताती धूस्ताव, अपिवास धूस्ताव, आपातकालीन शक्तियां जैसे महत्वपूर्ण अधिकार न होने के कारण भारत की राज्यसभा की तुलना ब्रिटेन के house of lord से की जाती है।

परन्तु

राज्यसभा को श्री निमज्जनित महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं:-

- ① अनुच्छेद - ३५३ → के अनुसार राज्य सूची से सम्बद्धि किसी भी विषय का अनुमोदन करने हेतु पहले विद्युयक राज्यसभा से पारित होना आवश्यक है।



निर्माण IAS

Ph.: 011-47058219, 9990765484, 9871968820

U.P.S.C.

प्रश्न संख्या
Question No.

Roll No.

② अनुच्छेद-31२ → के अनुसार किसी भी अधिकारीय सेवा से शम्बन्धित प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में अनुमति करना आवश्यक है।

③ अनुच्छेद 67(1) → के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन महाभिपोष में राज्यसभा का विशेष वहांत आवश्यक है, जबकि लोकसभा का साधारण वहांत।

उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट है कि या सन्ता है कि राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत कुछ विशेष शान्तिपोषात् प्राप्त है वर्तमान राज्यसभा लोकप्रतिनिधित्व न होकर योग्यता का प्रतिनिधित्व करती है जिसे छाप विशेष शक्तियाँ संविधान बाबा प्रदत्त हैं, जिसकी तुलना हम ब्रिटेन की House of lords से नहीं कर सकते।

इलांकि दाल में संसद

के घरम के कारण राज्यसभा के प्रतिनिधियों का योग्यता स्तर गिरा है, जिसके क्रिया सचित लाईवाह १००३ में अन प्रतिनिधित्व भविनियम (१९५१) में किया गया द्वंशोधन से राज्यसभा के सदस्यों का स्वैतीय प्रतिनिधित्व घटा है जिसमें उन संशोधन की आवश्यकता है।

परन्तु भारत देश

की राज्यसभा द्वितीय संसद तो है, लेकिन द्वासेव दर्जे का सफन नहीं।



निर्माण IAS

Ph.: 011-47058219, 9990765484, 9871968820

U.P.S.C.

इस भाग में
कुछ न लिखें
(Don't write
anything in
this part)

प्रश्न 6. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें।

(क) भारत का महान्यायवादी (125 शब्द) (अंक 20)

भारत सरकार का

‘मारत का महान्यायवादी’ भारत सरकार का वकील तथा लोकविल अधिकारी कहलाता है। अनुच्छेद-३६ में इनसे सम्बन्धित प्रश्नान्वयन विस्तृत हैं जिनकी निम्न योग्यता होनी चाहिए:-

एक व्यक्ति जिसे
आदित्य है।

① भारत का नागरिक हो।

② सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की पीड़िता रखता हो।

वहने स्थात शशि को ‘मानदेप’ कहा जाता है, तथा महान्यायवादी के पद पर रहते रहे भी ये ‘प्राइवेट एजिल्स’ कर सकते हैं। घर-तृ सरकार के छिलाक कोई केस/स्लाइ जटी दे सकते इनके निम्नाविभिन्न कार्य होते हैं।-

① न्यायालय में सरकार का पर काशना।

② सरकार की सम्बन्धित मामले में सलाइ देना।

③ राष्ट्रपति द्वारा सीधा गपा कोई कार्य करना।



निर्माण IAS

Ph.: 011-47058219, 9990765484, 9871968820

प्रश्न संख्या
Question No.

Name.....

Roll No.....

U.P.S.C.

इस भाग में
कृत न लिखें
(Don't write
anything in
this part)

भारत का भद्रायापवादी एक समृद्धिपूर्ण व अस्तित्वापूर्ण पद है,
जिसकी बार्पी की भूमिका के कारण इन्हें 'सरकार का देश'

भी कहा जाता है।



(ख) भारत का नियंत्रक व महालेखा परिषक(125 शब्द) (अंक 20)



निर्माण IAS
Ph.: 011-47058219, 9990765484, 9871968820

प्रश्न संख्या

Question No. Name.....

Roll No.....

U.P.S.C.

इस भाग में
कृपा न लिखें
(Don't write
anything in
this part)



निर्माण IAS

Ph.: 011-47058219, 9990765484, 9871968820


U.P.S.C.

इस भाग में
कुछ न लिखें
(Don't write
anything in
this part)


(ग) कार्यपालिका पर संसद के नियंत्रण के साधन (125 शब्द) (अंक 20)

कार्यपालिका पर संसद विभिन्न साधनों द्वारा नियंत्रण होती है:-

(1). प्रशासनिक नियंत्रण → संसद द्वारा विभिन्न प्रस्तावों, चर्चा, प्रश्न पूछकर, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर आदि द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है



(2). वित्तीय नियंत्रण → संसद द्वारा देश की कार्यपालिका पर निम्न साधनों द्वारा वित्तीय नियंत्रण रखा जाता है।



(3). संसद की भृत्याभियोग लगाकर प्रतिनिधियों का हताने की शक्ति प्राप्त है।

(4). विधि का निर्माण कसी का अधिकार प्राप्त

(5). न्यायिक द्वाक्षरिताएँ → भी कार्यपालिका को निर्वाचित करने तक भी पदमुक्त करने का अधिकार प्राप्त है।

(6). संविधान संशोधन अधिनार → इसके अंतर्वा संसद अधिकार तुम्हारा विसी भी संविधान संशोधन करने का अधिकार रखती है।



निर्माण IAS

Ph.: 011-47058219, 9990765484, 9871968820

U.P.S.C.

प्रश्न 8.

निम्नलिखित का उत्तर 20 शब्द में दें। ($2 \times 5 = 10$)
(क) राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल

शास्त्रपति के निर्वाचक मण्डल में प्रोक्समा वशज्यसमा के सभी
निर्वाचित सदस्य तथा शास्त्र विधान सभा के (दिल्ली व पाष्ठोचरी
के भी) निर्वाचित सदस्य होते हैं। 12

(ख) शून्यकाल

प्रबन्ध काष के बाद तथा भौजमावकाषा के पहले का वह
समय जिसमें इकिसी अप्रस्तुति विषय पर चर्चा की
जाती है 'वृज्य काल' कहलाता है। 12

(ग) किचन कैबिनेट

पृष्ठानमंत्री द्वारा कुछ विशिष्ट व चयनित
लोगो का समूह जिसे 'वह महत्वपूर्ण विषय
पर ज्ञाना करता है' 'किचन कैबिनेट' कहलाती है। 2

(घ) कार्य स्थगन प्रस्ताव

सतावधि के दोंशन जेनरा ऐ सम्बन्धित किसी तत्कालित महत्वपूर्ण
विषय पर चर्चा के विशेष चब रही बद्द जी की शैकना ही
कार्य स्थगन प्रस्ताव है 12

(ङ.) ताराकित प्रश्न

प्रश्न काल में पूछे गए वे प्रश्न जिनका मौखिक उत्तर
देना होता है 'ताराकित प्रश्न' कहलाते हैं, इनसे सम्बन्धित,
पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। 2

